

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

4-5-18

पत्रावली पेश हुई। वकील समयपक्ष उपस्थित।
पत्रावली वास्ते इन्तजार धालना दिनांक 11-6-18 को पेश हो।

11-6-18

पत्रावली राजपत्र लोक अदालत श्रीवैश
दीलतपुरा में पेश हुई। आदेश पत्रावली
वकीलनर तहसीलदार इन्डगाड द्वारा उपस्थित
कचारा रिपोर्ट के आदेश पत्रावली जारी की
गई। वेदकाथ रिपोर्ट 1812 इन्डगाड
शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली
केवल शुभार लोक कास तहसील शामिल
करके है।

उपस्थित अधिकारी
लाखेरा (बुन्दी)

FD मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गाखेरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- सुधी शारिका लाया R-11-5

हारिशम उनवान बनाम काबूलाल वर्मा

दावा बाबत 53, 188 R-11

मुकदमा नम्बर:- 101/कासा/2012

निर्णय दिनांक :-

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11-6-2018 को सुधी शारिका लाया (पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी गाखेरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वाद वादी आनीम ईकी किया जाता है। मुलाकेक खवाश कामेश्वर रिपोर्ट से जमाबन्दी संख्या 2073 से 2076 के ग्राम नयागाव पंचारमण्डल दोसतपुर तमलीण इन्द्रा के अशाता संख्या 175 से वाहीत कुल रकसय किता 6 योग रकबा 4.31 ईशर में से रक.न. 89 रकबा 0.118 ईशर कबे ग्रामे वादी हारिशम के हिस्से में रहेगी रक.न. 77 रकबा 0.22 रक.न. 78 रकबा 0.40 ई रक.न. 90 रकबा 0.15 ईशर रक.न. 434 रकबा 1.70 ईशर रक.न. 435 रकबा 1.66 ईशर किता 5 योग रकबा 4.13 ईशर में काबूलाल, मीतलाल, पिता अवरलाल, सन्तोषबाई इन्द्राबाई पुत्रिया अवरलाल व गोरधनी देवा अवरलाल का हिस्सा 90/403 तथा हंसराज पिता सुखपाल, रामबाई के लोकाई पुत्रिया खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। सुखपाल का हिस्सा 323/403 रहेगा यह आज तारीख 11-6-2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
गाखेरी (मुरी)
पदेन सहायक कलक्टर,

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

1. हरिशचंद्र पुत्र अकरलाल जगहरी भीष्मा निवासी नयागाव तहसील इन्द्रगढ
 राजेण - सुन्दी

सनातन

काशी

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 | काशूलाल पुत्र अकरलाल जगहरी भीष्मा निवासी नयागाव तहसील इन्द्रगढ | | |
| 2 | भीशलाल पुत्र अकरलाल | " | " |
| 3 | संतोषदाई पुत्री अकरलाल | " | " |
| 4 | इन्द्रदाई पुत्री अकरलाल | " | " |
| 5 | शोशनीदाई पुत्री अकरलाल | " | " |
| 6 | वसुदेव अकरलाल सुप्रयाल जगहरी भीष्मा निवासी नयागाव तहसील इन्द्रगढ | | |
| 7 | शमदाई पुत्री सुप्रयाल | " | " |
| 8 | केलीदाई पुत्री सुप्रयाल | " | " |
| 9 | जगदीश पुत्र मोतीलाल | " | " |
| 10 | सी. आर के. जी. वी. शाखा, सु-भाडी | | |
| 11 | पुस्तक आर. सी. आर. जी. आर. के. सु-भाडी | | |
| 12 | राज. राज्य जगहरी तहसीलका इन्द्रगढ | | |

जगहरी (गण)

उपखण्ड अधिकारी
 लाखेरी (बुन्दी)

अडिगरी व मुकदमें इबतदाई
(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपरकांड आधीकारी मुकाम लाखेरी
व इजलास क्षीगरी मगत तियाडी P.N.S.

हरिश्चंद्र आलम अकर लाल जारि बनाम (1) बाबूलाल व विभजन अकर लाल जारि मीणा
मीणा निवासी नयागाव तल्ली (2) मीणाकाम निवासी नयागाव तल्ली इलाहाबाद
इलाहाबाद जिला-बुंदेलखण्ड शेख नाम लुरगा अचिठई
पीटी

वादी प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 101/रा.वा.2012 दावा बाबत 53,188 आर.पी.ए.
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु सन
..... व हाजिरी
..... मिनजानिब मुद्दई रुबरु
..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दियॉं जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वास-पत्र आधीक भूमि स्वीकार किया जाता है तथा खाल सं. 79 ख.न. 77 रुक 0.22 है ख.न. 78 रुक 0.40 है. ख.न. 89 रुक 0.18 है. ख.न. 90 रुक 0.15 है. ख.न. 434 रुक 1.70 है. ख.न. 435 रुक 1.66 है. फ्लॉ-6 शेख रुक 4.31 है. यह वाके आज नयागाव तल्ली इलाहाबाद वादी का निर्दिष्ट हिस्सा 1/24 का विधिवत बरबाद किये जाने आदेश दिया जाता है तल्लीना इलाहाबाद को आदेश दिये जाते हैं कि पक्षकार को तलब कर उनकी उपस्थिति में धाय 53 PTA एक राजस्व मणल बरबाद मियम 1882 का पालन करते हुए प्राथमिक बरबाद दिनांक 31-1-14 से पूर्व न्यायालय में बरबाद निज मुकदमें के मय सूद बशरह कमीश्वर फौज 2005 कायम वर बरबाद वादी धाय का खर्चा इन फीसदी सालाना आज की तारीख का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-11-2013 माह
सन को जारी की गई।

मुहर दस्तखत
..... ओहदा
रूपरुत बाबुकार
वादी (हुन्ने)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

